(1)

24

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

करण संख्या 137/2021

राजस्थान सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं।

––प्रार्थी

बनाम

ुनिल कुमार पुत्र रतनसिंह, जाति वाल्मिकी, उम्र 35 वर्ष, निवासी उसरा, पुलिस थाना हांसी, जिला हिसार हरियाणा)

ागीरथ पुत्र श्योचन्द, जाति जाट, उम्र 48 वर्ष, निवासी बैरासर, पुलिस थाना राजगढ, जिला चूरू राजस्थान)

रेश पुत्र बलबीर सिंह, जाति जाट, उम्र 36 वर्ष, निवासी सिसाय, पुलिस थाना सदर हांसी, जिला हिसार हरियाणा)

––अप्रार्थीगण

थाना सदर झुंझुनूं पर दर्ज अ0स0 227/2020 धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट मे जप्तशुदा माल वजह सबूत को ई0सी0 एक्ट की धारा 6ए के तहत निस्तारण के संबंध मे।

––

उपस्थितः–

1. श्री विकास कुमार, प्रर्वतन निरीक्षक, विभागीय प्रतिनिधि–प्रार्थी की ओर से।
2. श्री बाबूलाल मील, एडवोकेट– अप्रार्थीगण की ओर से।

आदेश

दिनांक 28.09.2022

प्रार्थी जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 12.10.2020 को श्री अरूण कुमार आरपीएस मय मुलाजमान थाना के दौराने गश्त झुंझुनूं बाकरा रोड पर ग्राम बाडलवास की रोही में पहुंचे तो सडक पर पास खाली पडी जमीन में एक 18 चक्का लोडिग वाहन खडा नजर आया जिसके ड्राईवर सीट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था तथा दो व्यक्ति उसके पास कैबिन में बैठे हुए थे जिन पर संदेह होने पर वाहन को चैक किया तो वाहन के पीछे बॉडी में 15 ड्रम लोहे के व पांच ड्रम प्लास्टिक के लेटी हुई अवस्था में पडे थे जिनको प्लास्टिक तिरपाल की मदद से ढका हुआ था चालक से नाम पता पुछा गया तो अपना नाम सुनिल कुमार पुत्र रतनसिंह जाति बाल्मीकी उम्र 35 वर्ष निवासी उसरा पुलिस थाना हांसी जिला हिसार बताया तथा उसके पास केबिन में बैठे व्यक्तियो में अपना नाम क्रमशः भागीरथ पुत्र श्योचन्द राम जाति जाट उम्र 48 साल निवासी बैरासर पुलिस थाना राजगढ जिला चुरू व तीसरे ने अपना नाम नरेश पुत्र बलबीर सिंह जाति जाट उम्र 36 साल निवासी सिसाय पुलिस थाना सदर हांसी जिला हिसार बताया। उक्त तीनो से वाहन के अंदर रखे हुए ड्रमों में दो–दो [illegible]) लीटर डीजल होना बताया। उक्त डीजल बेचने के लिए, हिसार से झुंझुनूं लेकर आना बताया। [illegible] रखे ड्रमो को खडा करके देखा गया तो सभी ड्रमों के ढक्कन लगे हुए है तथा [illegible] है। सभी ड्रमो के [illegible]कन खोलकर देखा गया तो सभी ड्रम डीजल से भरे हुए है तथा प्रत्येक ड्रम में करीब 200 लीटर [illegible] कुल 21 ड्रमों [illegible]0 लीटर के करीब डीजल है वाहन चालक सुनिल कुमार व उसके साथी [illegible]रथ व नरेश से इतनी [illegible] डीजल अपने कब्जे में रखने, परिवहन करने अथवा बेचने का कोई अनुज्ञापत्र पुछा गया तो अपने पास कोई वैध अनुज्ञापत्र नही होना बताया उक्त सुनील कुमार भागीरथ व नरेश से इतनी मात्रा में वैध अनुज्ञापत्र के बिना डीजल अपने कब्जे में रखने का यह कृत्य जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.21 12:30:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनं

25

अपराध होने के कारण उक्त कुल 21 ड्रमो के मय डीजल के नियमानुसार जब्त किया जाकर कब्जा पुलिस में लिया गया जिनका विवरण निम्न प्रकार है— 14 ड्रम लोहे के नीले रंग के है जिन पर मार्क क्रमशः A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 तथा 2 ड्रम लोहे के लाल व सफेद रंग के है जिन पर मार्क क्रमशः A15 A16 लगाए गए। 5 ड्रम नीले रंग के प्लास्टिक के है जिन पर मार्क क्रमशः A17 A18 A19 A20 A21 लगाये गये उक्त सभी ड्रमो से एक एक कांच की बोतल 750 एमएल की बतौर नमूना सैम्पल डीजल निकाली जाकर पृथक पृथक सील्ड की गई। सील्ड नमुना सेम्पल डीजल बोतलो पर मार्क क्रमश S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 लगाए गए। सभी ड्रमो को भी शेष डीजल सहित शील्ड किए गए। ट्रक में ड्रमों के पास मिले एक कीमा एक नाप व एक प्लास्टिक की बाल्टी नीचे व सफेद रंग की को भी बतौर सबूत जब्त किया गया तथा वाहन NL 01 Q 8315 को भी बतौर वजह सबूत नियमानुसार जब्त किया गया। इत्यादि पर अभियोग संख्या 227/20 धारा धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया गया। बाद अनुसंधान चालान न्यायालय पेश किया जा चुका है। उक्त जप्तशुदा 21 ड्रमो में 4200 लीटर डीजल भरा हुआ है। उक्त डीजल के ड्रमों को थाना पर रखरखाव की उचित व्यवस्था नही है एवं डीजल अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है। डीजल के भरे हुए ड्रम थाना परिसर में बाहर खुले में रखे हुए हैं उक्त ड्रमो में गर्म मौसम में गैस भरने से ड्रम फटने की पूर्ण आशंका है जिसके कारण हादसा होने की संभावना बनी रहती है। जब्तशुदा डीजल के निस्तारण के सबंध में आवेदन पूर्व में श्रीमान के कार्यालय में प्रस्तुत किया हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम में प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रकरण में जप्तशुदा डीजल के निस्तारण के आदेश फरमाने की कृपा करे।

बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि प्रकरण मे न्यायालय हाजा द्वारा उनवानी प्रकरण अभिषेक बंसल बनाम राज० सरकार जरिये लोक अभियोजक, प्रकरण सं० 5/2021 मे निर्णय दिनांक 15.02.2021 पारित किया जाकर 21 ड्रम मय 4200 लीटर डीजल एवं मय कीमा व एक प्लास्टिक की बाल्टी जप्त किये जाकर राजसात किये जा चुके है एवं जप्तशुदा सामग्री की निलामी की जाकर राशि राजकोष मे जमा करवाई जा चुकी है। प्रकरण मे`ब कोई कार्यवाही शेष नही है। अतः प्रार्थना पत्र मे कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

वकील अप्रार्थी ने विभागीय प्रतिनिधि के कथनों का विरोध मे कोई तर्क प्रस्तुत नही किया।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण मे न्यायालय हाजा द्वारा उनवानी प्रकरण अभिषेक बंसल बनाम राज० सरकार जरिये लोक अभियोजक, प्रकरण सं० 5/2021 मे निर्णय दिनांक 15.02.2021 पारित किया जाकर 21 ड्रम मय 4200 लीटर डीजल एवं मय कीमा व एक प्लास्टिक की बाल्टी जप्त किये जाकर राजसात किये जा चुके है एवं जप्तशुदा सामग्री की निलामी की जाकर राशि राजकोष मे जमा करवाई जा चुकी है। ऐसे मे प्रकरण मे अब कोई कार्यवाही शेष नही है। अतः प्रार्थना पत्र मे इस स्तर पर कार्यवाही निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 28.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.21 12:30:16 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मण सिह कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं